भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

CHIEF TREASURY OFFICER VARANASI

13 JUL 2023

NOTARIAL NOTARIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADE

GN 212302

(प्रारूप "अ")

सत्र 2023–24 में नवस्थापित की जाने वाली डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थाओं की सोसाइटी / ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नोटरी शपथ पत्र का प्रारूप–

हम **राजकुमार मौर्या** पुत्र श्री रामचन्दर मौर्या, अध्यक्ष, एवं सचिव, **मनोज कुमार** पुत्र श्री श्री रामचन्दर मौर्या सोसाइटी नाम–**जमुना प्रसाद मौर्य शिक्षा एवं सेवा समिति,** पता–ग्राम–सुईचक (बड़ीबारी), पोस्ट–गंगापुर, तहसील व जिला–वाराणसी (उ0प्र0) शपथपूर्वक निम्नवत् बयान करते हैं–

1. यह कि हमारी सोसाइटी द्वारा **जमुना प्रसाद मौर्य शिक्षा एवं सेवा समिति,** संस्था का नाम **श्री जमुना प्रसाद मौर्य कालेज ऑफ फार्मेसी,** पता–ग्राम व पोस्ट–खेवली, **वाराणसी** नामक डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023–24 से किया जाना प्रस्तावित है।

NOTARY KAMLESH SINGH Advocate Dist.-VARANASI Regd.No.-2913 GOVT. OF INDIA

क्रमांक- 1332

स्टाम्प विक्रय की तिथि- 29.8.17

स्टाम्प खरीदने का प्रयोजन- [illegible]

[illegible] का नाम व पता- [illegible] प्रसाद औषध शिक्षा एवं सेवा (ट्रस्ट)

[illegible]

[illegible] 15

स्टाम्प विक्रेता [illegible]

एस.21/9 [illegible] लाईन वाराणसी

NOTARY
KAMLESH SINGH
Advocate
Dist.-VARANASI
Regd.No.-2913
GOVT. OF INDIA

Before me:-
SWORN & VERIFIED

Kamlesh Singh
NOTARY GOVT. OF INDIA
Regd No. 2913, Varanasi

2. यह कि हमारी सोसाइटी के नाम **जमुना प्रसाद मौर्य शिक्षा एवं सेवा समिति,** पता–ग्राम–सुईचक (बडीबारी), पोस्ट–गंगापुर, तहसील व जिला–वाराणसी (उ0प्र0) जहां पर भूमि स्थित है, में गाटा संख्या 139 रकबा 10660 वर्गमीटर भूमि है।

3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।

4. यह कि उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या गाटा संख्या 139 रकबा 10660 वर्गमीटर पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी की बैठक दिनांक 25.06.2022 द्वारा पारित किया गया है।

5. यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।

6. यह कि निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

7. यह कि इन भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान का सही संचालन किया जायेगा।

8. यह कि इस संस्था में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

9. यह कि उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आई0टी0आई0 आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।

NOTARY
KAMLESH SINGH
Advocate
Dist.-VARANASI
Regd. No.-2613
GOVT. OF INDIA

10. यह कि संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।

11. यह कि संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी द्वारा सत्र प्रारम्भ के पूर्व कर लिया जायेगा।

12. यह कि शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदशों का भलीभांति पालन करूंगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षणएवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।

13. मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते है तो मेरे विरूद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वंय उत्तरदायी होऊँगा।

हस्ताक्षर अध्यक्ष

हस्ताक्षर सचिव

NOTARY
KAMLESH SINGH
Advocate
Distt.-VARANASI
Regd. No. 2913
GOVT. OF INDIA

Before me:-
SWORN & VERIFIED

Kamlesh Singh
NOTARY GOVT. OF INDIA
Regd No. 2913, Varanasi